



The heart of
Incredible India

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड

छठवां तल, लिली ट्रेडिंग, जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) - 462008

क्रमांक- 2747 /एफ-53/एमपीटीबी/प्रशासन/2023

भोपाल दिनांक- 03 /05/2023

विज्ञापन

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जेण्डर एवं सामाजिक विकास, सलाहकार (Gender and Social Development) पद पर संविदा नियुक्ति हेतु अनुभवी विषय विशेषज्ञ के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्तें मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट www.tourism.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25-05-2023 को शाम 04.00 बजे है।

प्रबंध संचालक



The heart of
Incredible India

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड

6 वीं मंजिल, लिली ट्रेडिंग जहाँगीराबाद, भोपाल

मध्य प्रदेश, पिनकोड - 462008

Website ; www.tourism.mp.gov.in

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड अंतर्गत विज्ञापित पद का मापदण्ड/निर्देश

क्र.	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव	वांछनीय योग्यता एवं अनुभव
1.	विषयवस्तु विशेषज्ञ - जेण्डर एवं सामाजिक विकास	01	1. ग्रामीण प्रबंधन/ सामुदायिक विकास/ एमएसडब्ल्यू/विकास अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री। 2. संबंधित क्षेत्रों जैसे जेण्डर एवं सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्यानुभव।	1. ग्रामीण प्रबंधन/ग्रामीण विकास/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए को प्राथमिकता। 2. ग्रामीण विकास/ सामाजिक विकास परियोजना/सामुदायिक पर्यटन क्षेत्र/ शासकीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/ परियोजनाओं के साथ कार्यानुभव को प्राथमिकता। 3. हिन्दी अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर एवं दस्तावेजीकरण में ज्ञान आवश्यक

आवश्यक निर्देश:

1. उक्त पद पर सलाहकार सेवाओं को सामान्यतः तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। किन्तु प्रथमतः प्रथम वर्ष के कार्यों के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन के आधार पर सेवावृद्धि की जा सकेगी।
2. निजी सेवा क्षेत्र के उम्मीदवारों हेतु दिनांक 31 मार्च 2023 को अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। शासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी।
3. आवेदनकर्ता को स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. सलाहकार सेवा के पद पर शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति द्वारा एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवक भी आवेदन कर सकते हैं। शासकीय सेवाओं को उनके विभाग में प्राप्त होने वाली वेतन प्राप्ति का समान रूप से प्राप्त होगी। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को उनके अंतिम वेतन में से पेंशन घटाकर मानदेय देय होगा। इन दोनों श्रेणी के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों से आवेदन करने वाले आवेदकों को उनकी वर्तमान परिलब्धियों को आधार मानते हुये नीति अनुसार निर्णय कर मानदेय निर्धारण किया जावेगा।
5. अवकाश एवं यात्रा भत्ते की पात्रता टूरिज्म बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

निरन्तर.....

// 2 //

6. नियुक्त सलाहकार पद पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
7. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिए आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. केवल चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय उम्मीदवारों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
9. पदों की संख्या में कमी/बढ़ोत्तरी करने का अंतिम अधिकार, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के पास सुरक्षित होगा।
10. सलाहकार सेवाओं हेतु चयनित उम्मीदवारों से नियुक्ति के पश्चात दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना व उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्यप्रदेश शासन द्वारा बिना कोई कारण बताए आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

कार्यानुभव					
क्र.	संस्था/कार्यालय का नाम	पद	अवधि से तक	अनुभव वर्ष/माह	अनुभव का कार्यक्षेत्र
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

यदि वर्तमान में सेवा में हो तो सेवा का नाम	सेवा का स्वरूप (शासकीय/अशासकीय/स्वयत्तशासी)	वर्तमान अथवा अंतिम वेतन(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(21)	(22)	(23)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -

अभ्यर्थी का नाम -

घोषणा-पत्र

मैं.....शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर-.....

अभ्यर्थी का नाम -.....

संलग्न दस्तावेज -

1. हाईस्कूल / हायरसेकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
2. स्नातक / स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. शासकीय कार्यालयों / निजी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।
5. शासकीय सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज।
6. अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र।
7. अन्य वांछित दस्तावेज।